



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125033

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21897/2025

जुनैद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अम्बरीन मसरूर, अमित कुमार श्रीवास्तव,
मानवेन्द्र सिंह, मुजतबा शमीम अख्तर,
नंदजी प्रसाद शर्मा, पुष्पा जोशी, सद्रुल
इस्लाम जाफरी, सौरभ यादव, सुनील कुमार,
सुनील वशिष्ठ
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मानवेन्द्र सिंह

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार एवं राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. आदेश-पत्रक के परिशीलन पर प्रतीत होता है कि प्रथम सूचनाकर्ता दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित नहीं था तथा प्रकरण स्थगित कर दिया गया और पुनः प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.01.2026 को रुग्णता पर्ची भेजी गई तथा उस दिनांक को निर्देशित किया गया कि प्रकरण दिनांक 15.01.2026 को अनिवार्यतः सूचीबद्ध किया जाए।
3. तथापि, दिनांक 16.01.2026 को प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा न्यायहित में प्रकरण स्थगित कर दिया गया, निर्देशित किया गया कि प्रकरण दिनांक 28.01.2026 को अनिवार्यतः सूचीबद्ध किया जाए। तथापि, पुनः दिनांक 06.04.2026 को निर्देशित किया गया कि प्रकरण दिनांक 13.04.2026 को अनिवार्यतः सूचीबद्ध किया जाए। दिनांक 13.04.2026 को पुनः निर्देशित किया गया कि प्रकरण दिनांक 20.04.2026 को अनिवार्यतः सूचीबद्ध किया जाए, तत्पश्चात् प्रकरण आज हेतु सूचीबद्ध किया गया है।।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत तथा इस बात के दृष्टिगत कि जमानत हेतु वर्तमान आवेदन 2025 से लंबित है, यह आवेदन प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में सुना जा रहा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आवेदक की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, वाद अपराध संख्या 463/2024, तहत धारा 351(2), 108 बी.एन.एस., थाना बिल्सी, जनपद बदायूं में विचारण की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना के साथ दायर किया गया है।

6. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध दुष्प्रेरण का कोई साक्ष्य नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आत्महत्या नोट पर मृतका के हस्तलेख के संबंध में एफएसएल आख्या अब तक प्राप्त नहीं हुई है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 29.12.2024 से कारागार में निरुद्ध है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह वचन देता है कि यदि स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में प्रकरणों की अत्यधिक लंबितता के परिप्रेक्ष्य में विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभाव्यता नहीं है।

7. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की याचना का विरोध किया गया है तथा प्रस्तुत किया गया है कि मृतका द्वारा लिखा गया आत्महत्या नोट है जिसमें उसने कथन किया है कि यदि उसका विवाह जमशेद के साथ संपन्न नहीं होता है तो इसके लिए आवेदक ही उत्तरदायी होगा।

8. प्राथमिकी के अभिकथन के अनुसार, आवेदक द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया जाना बताया गया है जिसमें मृतका का जमशेद के साथ विवाह टूट जाना बताया गया है। मृतका का एक आत्महत्या नोट है, तथापि, आत्महत्या नोट पर मृतका के हस्तलेख की एफएसएल आख्या अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

9. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने पर तथा मामले के गुणागुण पर कोई अभिमत व्यक्त किए बगैर, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

10. उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक- जुनैद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ रु. 50,000/- का एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई उत्प्रेरणा, धमकी अथवा वचन इस प्रकार नहीं देगा जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें अभिभूत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक (i) प्रकरण के आरम्भन, (ii) आरोप की विरचना तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनबंध दायर करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हों, तब वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई अनावश्यक स्थगन याचित नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भंग होने की दशा में, यह जमानत के निरसन का आधार होगा।

12. स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के अवधारण के प्रयोजन तक सीमित है तथा इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुणागुण पर अभिमत के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

3 जून, 2026

इम्तियाज़

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"